राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामेश्वरलाल बनाम नरेन्द्र कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 97/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दिनांक 13/04/2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सीपीसी पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों का परिक्षण अपील के गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त ही किया जाना उचित समझा जाता है। अपील के इस इस स्तर पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के माध्यम से कोई अग्रिम आदेश दिया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है। अत: तदनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली गुणावगुण पर बहस हेतु दिनांक 28/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
28/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 98/2024 व 97/2024 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/06/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
01/06/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27/01/2023 पारित करते हुये तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि के खाता संख्या 191 के खसरा नम्बर 208 रकबा 3.33 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर, खाता संख्या 192 रकबा 204/2922 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नांगलभरडा, पटवार हल्का नांगल भरडा, भू.अ.नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	97/2024 **रामेश्वरलाल बनाम नरेन्द्र कुमार** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की सुविधा को ध्यान ,में रखते हुये कब्जे काश्त एवं बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/06/2023 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27/01/2023 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/06/2023 के विरुद्ध अपील संख्या 98/2024 व 97/2024 इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं तत्पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिनमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलों के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा उठाई गयी तकनीकी आपत्ति के आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27/01/2023 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/06/2023 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 98/2024 व 97/2024 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर